रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 257] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 1973/आषाढ़ 22, 1895
No. 257] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1973/ASADHA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 13th July 1973

S.O. 394(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that due to inordinate delay in the setting in of monsoon, the supplies of milk have not increased so as to secure its equitable distribution in the areas comprising the Union Territory of Delhi and the Districts of Meerut and Bulandshahr in the State of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

In sub-clause (3) of clause 1 of the Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order, 1973 as notified in Order No. S.O. 268(E), dated 5th May, 1973, the following amendment shall be made:—

For the words

"and shall cease to operate on the 16th of July 1973"

substitute the words

"and shall cease to operate on the 31st of July, 1973"

[No. 6-1/73-LDI.]

I. J. NAIDU, Addl. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1973

एस० ओ० 394 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मानसून के देर से प्रारम्भ होने के कारण दूध की आपूर्ति में वृद्धि नहीं हुई है । अतः उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों सहित संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रों में दूध के समुचित वितरण के लिए ;

भारत सरकार अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी करती है :—

दिल्ली, मेरठ, बुलन्दशहर दूध और दुग्ध उत्पाद, नियंत्रण आदेश, 1973 के खंड 1 (iii) में जैसा कि आदेश सं० सा० का० 268 (ई०) दिनांक 5-5-73 में अधिसूचित किया गया था, निम्न संशोधन किये जाते हैं :—

"16 जुलाई, 1973 को प्रवृत्त नहीं रहेगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"31 जुलाई, 1973 को प्रवृत्त नहीं रहेगा" ।

[सं० 6-1/73-प० वि०-1]

आई जे० नायडू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973